न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 22/2026 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस.: 2026/35

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

अवधेश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 38 साल निवासी पीसाहेड़ा थाना देवलीमांझी जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 22.5.2026

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **अवधेश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 38 साल निवासी पीसाहेड़ा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	17/18.1.2022	13 आरपीजीओ	11/21.1.2022	100 रू. जुर्माना 16.2.2022
2.	138/24.8.2025	13 आरपीजीओ	136/30.8.2025	100 रू. जुर्माना 10.9.2025
3.	154/26.9.2025	13 आरपीजीओ	156/29.9.2025	100 रू. जुर्माना 8.10.2025

अतः **गैरसायल अवधेश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 38 साल निवासी पीसाहेड़ा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि थानाधिकारी **देवलीमांझी** द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंकित अभियोगो की सूची से सहमत हूं। प्रार्थी वर्तमान में शान्ति पूर्वक अपना मजदूरी/व्यवसाय कर अपने एंव परिवार का भरण पोषण कर रहा है। कोई कानून अपराधिक कार्य नहीं कर रहा हूं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध विचाराधीन अभ्यासिक अपराधी अधिनियम की कार्यवाही निर्णित कर समाप्त करने की कृपा फरमावे।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **देवलीमांझी** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ की धारा 3(1) के तहत 03 अभियोग दर्ज हुए है। अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना

अति० जिला कलक्टर
कोटा

कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **अवधेश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 38 साल निवासी पीसाहेड़ा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **7** दिन के लिए **थाना देवलीमांझी** जिला कोटा की सीमा से **जिला झालावाड़** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी थानाधिकारी, **थाना पनवाड़ जिला झालावाड़** को प्रस्तुत करेगा। **थानाधिकारी थाना पनवाड़ जिला झालावाड** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त 7 दिवस की निष्कासन अवधि **20** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक 12.06.2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **अवधेश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 38 साल निवासी पीसाहेड़ा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** को दिनांक **12.06.2026** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **देवलीमांझी** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से **थाना पनवाड़ जिला झालावाड** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थाना पनवाड़ जिला झालावाड** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **देवलीमांझी** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **देवलीमांझी** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक **22.5.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा